राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक: 21 JUL 2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के अकृषि उपयोग की अनुमति के संबंध में दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों के नियमन प्रक्रिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन के संबंध आ रही विविध कठिनाईयों के दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या 1(vi) जिसके द्वारा दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के अपंजीकृत दस्तावेज की कट ऑफ डेट (cut of date) दिनांक 30.09.2012 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में दिनांक 30.09.2012 के स्थान पर 31.05.13 निर्धारित कर दिया गया था।

अब राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेज की कट ऑफ डेट (cut of date) दिनांक 31.05.2013 निर्धारित की जाती है। दिनांक 31.05.2013 तक की अवधि के उक्त दस्तावेज दिनांक 30.11.2015 तक ही नियमन हेतु मान्य होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

21/7/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/स्वायत्त शासन विभाग।
6. शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग को उनकी आई0डी0 क्रमांक 101502644 दिनांक 20.07.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण है।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
10. निदशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

21/7/15

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय